



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

कार्तिक 16, गुरुवार, शाके 1941-नवम्बर 7, 2019
Kartika 16, Thursday, Saka 1941- November 7, 2019

भाग 4 (ग)

उप- खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशो, उप- विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 07, 2019

जी.एस.आर.36 :-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 6-क की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विधान सभा अधिकारी (निवास की सुसज्जा और रख-रखाव) नियम, 2006 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा अधिकारी (निवास की सुसज्जा और रख-रखाव) (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये 1 अप्रैल 2019 को और से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. नियम 4 का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा अधिकारी (निवास की सुसज्जा और रख-रखाव) नियम, 2006 के विद्यमान नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“4 फर्नीचर सुविधा और रख-रखाव.- जब कोई भवन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरकारी मुख्य सचेतक, सरकारी उप-मुख्य सचेतक और विपक्ष के नेता के शासकीय निवास के रूप में निश्चित या आवंटित कर दिया जाता है तो उसकी आरम्भिक सुसज्जा पर उपगत किया जाने वाला व्यय, राजस्थान मंत्री शासकीय निवास (उपयोग और रख-रखाव) नियम, 1966 के अधीन किसी मंत्री के शासकीय निवास के लिए अनुज्ञेय व्यय या इसके नीचे वर्णित रकम, जो भी अधिक हो, के समतुल्य के रकम तक सीमित होगा:-

(i) अध्यक्ष	छह लाख रुपये
(ii) उपाध्यक्ष	पांच लाख रुपये
(iii) सरकारी मुख्य सचेतक	पांच लाख रुपये
(iv) सरकारी उप-मुख्य सचेतक	पांच लाख रुपये

(v) विपक्ष का नेता

पांच लाख रुपये”

[सं. एफ. 7(2)संसद/2019]

राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION

Jaipur, November 07, 2019

G.S.R. 36.-In exercise of the powers conferred by section 11 read with sub-section (2) of section 6A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Officers (Furnishing and Maintenance of Residence) Rules, 2006, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Officers (Furnishing and Maintenance of Residence) (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall be deemed to have come into force on and from 1st day of April, 2019.

2. Amendment of rule 4.- The existing rule 4 of the Rajasthan Legislative Assembly Officers (Furnishing and Maintenance of Residence) Rules, 2006, shall be substituted by the following, namely:-

"4. Furniture facilities and maintenance.- When a building is earmarked or allotted as an official residence of the Speaker, the Deputy speaker, the Government Chief Whip, the Deputy Government Chief Whip and the Leader of the Opposition, the expenditure to be incurred on the initial furnishing thereof shall be limited to the amount equivalent to the expenditure permissible for a minister's official residence under the Rajasthan Ministers Official Residences (Use and Maintenance) Rules, 1966 or the amount mentioned hereunder, whichever is higher:-

(i) the Speaker	Rupees six lakh
(ii) the Deputy Speaker	Rupees five lakh
(iii) the Government Chief Whip	Rupees five lakh
(iv) the Deputy Government Chief Whip	Rupees five lakh
(v) the Leader of the Opposition	Rupees five lakh"

[No. F.7(2)Sansad/2019]

By Order of the Governor,
Vinod Kumar Bharwani,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.